संख्या-14/2026/525/उन्नीस-2-2026/001-1725128

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2026

विषय:-उ0प्र0 के मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान' के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1465/सू0एवंज0सं0वि0(प्रेस)-11/2022, दिनांक 24.08.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-86 के लेखा शीर्षक "2220-सूचना तथा प्रचार'' के अन्तर्गत मद संख्या-60-अन्य-800-अन्य व्यय-05-पत्रकार कल्याण कोष-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में रू0 42.00 लाख (रूपये बयालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबन्ध

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, सूचना द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(3) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 15 नवम्बर, 2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनॉक 25.10.1983 व अन्य सन्दर्भित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था का ध्यान रखा जायेगा।

(6) निदेशक, सूचना द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, सूचना द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 086 लेखा शीर्षक 2220608000500 पत्रकार कल्याण कोष मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

संजय प्रसाद
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-14/2026/525(1)उन्नीस-2-2026/001-1725128, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

चंचलता श्रीवास्तव
अनु सचिव

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in